# पेसा कानून के क्रियान्वयन में संचार माध्यमों की भूमिका


**शोध सारांश**

आज आदिवासियों की जल,जमीन,जंगल उनसे छीने जा रहे हैं। कुछ चंद फायदे के लिए उनको उनको जमीन से विस्थापित कर रहे हैं विस्थापन से उनकी संस्कृति,शिक्षा विकास आदि पर प्रभाव पड़ रहा हैं। आदिवासियों की जीवन जिने की अलग शैली है। उनकी संस्कृति ,न्याय पद्धत,भाषा में विभिन्नता हैं। सरकार ने उसकी को ध्यान में रखकर कानून बनाये हैं उसको सही तरीके के लागू करना प्रशासन का काम होता हैं उस काम पर नजर रखना मीडिया का दायित्व बनता हैं। लेकिन दिन ब दिन मीडिया भी उस दायित्व को कुछ हद तक भूल गई हैं। खुले आम आदिवासियों पर अन्याय हो रहा हैं उनको जल, जंगल,जमीन से बेदखल किया जा रहा और मीडिया में यह खबर एक कॉलम में प्रकाशित हो रही हैं। इस लिए यह जानना जरुरी हैं की आदिवासियों को लेकर मीडिया कितनी सगज हैं। आदिवासी इस देश का मूलनिवासी है और इनके उत्थान के लिए सरकार अलग-अलग योजनाएं बनाकर उसको क्रियान्वयन करने का प्रयास कर रही है, किन्तु कुछ योजना सफल होती है तो कुछ असफल भी होती है। वे चाहकर भी अपना विकास कर नही पाते है। आदिवासियों की संस्कृति अस्मिता एवं उनका साहित्य एक अलग पहचान कराती हैं। उनके क्षेत्रों में जाना और उनका विकास करना असंभव हैं। भारतीय संविधान में आदिवासियों के विकास के लिए विविध प्रावधान है फिर भी राजनीतिक कारणों से उनका विकास नही हो रहा है। आदिवासियों को उनके ही जल,जंगल,जमीन, से बेदखल की जा रही है। आदिवासियों की जमीने लुटी जा रहीं आदिवासी क्षत्रों में गौण उपजों की लुट हो रहीं है और सरकार उसे विकास का नाम दे रहीं, इसलिए स्थानीय आदिवासी भी उनका सहयोग नही कर रही है। इन कारणों से आदिवासियों में सरकार के प्रति असंतोष की स्थिति बनी हुई हैं। अगर आदिवासियों के विकास की हम बात करे तो जो भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए जो आधिकार दिए है। उसका सही तरीके से क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार भी कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही हैं। आदिवासियों के हिसाब से उनकी जल,जमीन जंगल और संस्कृति के आधार पर विकास करना जरुरी है। इसको ध्यान में रखकर सरकार की तरफ से एक समिति का गठन किया गया 'भूरिया समिति' इस समिति के आधार पर पेसा कानून को 73 वी संविधान संशोधन किया गया।'पेसा कानून' बनाया गया और 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपतिने ने अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों के लिए नए कानून को मंजूरी दे दी हैं। इसके साथ ही पंचायतों के बारे में संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 244 में दी गई महत्वपूर्ण फेरबदल के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कर दिया। यह हमारे देश का पहला कानून हैं जिसमें यह साफ तौर से माना गया हैं कि आम जन सर्व-

अधिकार संपन्न और ग्राम सभा के रूप गाँव समाज का स्थान देश में सबसे ऊँचा हैं। इस कानून की जानकारी आम जनता के बीच नही पहुच पाई है। पेसा कानून से संबधित जो भी जानकारी है वो सामाजिक संस्था अपने हिसाब से लोगो तक पंहुचा रही है। इसलिए गैर आदिवासियों के मन में 'पेसा कानून' को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। सरकारी स्तर पर इस कानून की जानकारी कोई नहीं देता है। जब तक इस कानून की जानकारी सामान्य लोगों तक पहुच नहीं पाती तब तक आदिवासियों का विकास नहीं होंगा। मीडिया अपना दायित्व कैसे निभा रही हैं या  पेसा कानून से संबंधित कानून के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार किस तरह से प्रयास कर रहीं हैं। यह जानने के लिए प्रस्तुत शोध का उद्देश्य पेसा कानून के क्रियान्वयन में संचार माध्यमों भूमिका को जानना है। प्रस्तुत  शोध की गुणवता को ध्यान में रखते हुए मार्च 2016- से जनवरी 2017 के दौरान लोकमत (मराठी) समाचारपत्र में प्रकाशित पेसा कानून से संबंधित कुल 20 समाचारों का विश्लेषण किया हैं। यह समाचार किनवट तहसील के क्षेत्र संबंधित है। प्रस्तुत शोध हेतु किनवट तहसील के अंतर्गत आनेवाले कुल पांच गावों के कुल 42 लोगों से प्रश्नावली भरवाई गयी। इस विषय को पूरा करने के किए अवलोकन,अंतर्वस्तु विश्लेषण,साक्षत्कार,प्रश्नावली आदि शोध प्रविधि का उपयोग किया है। इसको ध्यान में रखकर प्रस्तुत विषय 'पेसा कानून के क्रियान्वयन में संचार माध्यमों की भूमिका' का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत प्रथम अध्याय में 'जनजाति का परिचय' इस अध्याय के अंतर्गत 'क्षेत्र के आधार पर भारत के आदिवासीयों का परिचय' इस उपनाम से अध्याय प्रस्तुत किया गया है, जिसकें अंतर्गत भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार जनजाति परिचय दिया हैं। इसमें यह बताने की कोशिश की गई है, कि उनकी रीति-रिवाज, रहन-सहन और संस्कृति के अनुसार वहा के आदिवासी अपना जीवन यापन किस तरह व्यतीत करते हैं।  इसकी जानकारी इस अध्याय में दी गई है। 'जनजाति का परिचय' इस अध्याय के अंतर्गत 'महाराष्ट्र की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन' नाम से अध्याय प्रस्तुत किया गया हैं। अध्ययन में पाया कि महाराष्ट्र में कुल 47 जनजाति हैं, परंतु इस अध्याय में क्षेत्र के आधार पर महाराष्ट्र की 8 प्रमुख जनजातियों को लिया गया है। जिसमें आंध,भील,गोंड,वारली,कोरकू,धानका आदि जनजाति शामिल है। यह जनजातियाँ एक दुसरे से कैसे अलग हैं और हर जनजाति अपनी अलग पहचान से जानी जाती है, उनकी बोली भाषा, संस्कृति, व्यवहार,रहन-सहन जैसी विभिन्न भाग इस अध्याय में देखने को मिलेगा। साथ ही आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने तथा व्यक्तित्व विकास के लिए सरकार की ओर से चलाए जानी वाली योजनाओं की जानकारी द्वितीय अध्याय 'आदिवासी समुदाय और शासकीय योजनाएँ' में शामिल किया गया है। इसमें सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की उपलब्धता, खेती करने के लिए किसानों को  दी जाने वाली विभिन्न योजना आदि के बारे में इस अध्याय में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है। तृतीय अध्याय 'आदिवासी समुदाय और पेसा कानून' के अंतर्गत

‘पेसा कानून का परिचय’ देकर उसमें आदिवासी समुदाय, ग्राम सभा को प्राप्त अधिकार, वन समिति जैसे विभिन्न मुद्दों का विवरण दिया गया हैं साथ ही वन अधिकार और आदिवासी समुदाय को प्रस्तुत किया हैं। यह कानून महाराष्ट्र ने किन-किन जगह पर लागू हैं इसकी जानकारी इस अध्याय में दी गई है। पेसा कानून को क्रियान्वयन में मीडिया की भूमिका क्या है? इसके लिए  लोकमत (मराठी) अखबार में प्रस्तुत होने खबरों का विश्लेषण किया गया है। निष्कर्ष प्रस्तुत विषय में वर्तमान में जनसंचार माध्यमों का विकास तेजी से हो रहा है जिसमें मीडिया के कई स्त्रोत उपलब्ध है परन्तु पेसा कानून के प्रचार-प्रसार में इन गतिशील माध्यमों की उपयोगिता बहुत कम दिखाती है। अन्य सामाजिक जागरूकता के मुद्दे पर जिस प्रकार मीडिया की संवेदनशिलता दिखाई देती है उतनी पेसा कानून के प्रचार-प्रसार में नहीं देखती हैं। सरकारी स्तर पर पेसा कानून से संबंधित कार्यशालायों का आयोजन न के बराबर दिखाई देता है। पेसा कानून के क्रियान्वयन में मीडिया की भूमिका नकारात्मक है।

# Role of communication media in the implementation of PESA law

## Research summary

Today the water, land, forest of tribal is being snatched away from them. For some benefit, they are being displaced from their land. Displacement is effecting their culture, education, development etc. there are different life style of tribals. There are differences in their culture, justice system language etc. the Government of India has enacted legislation keeping this in mind. It is administration's job to implement it in right way and the responsibility of media is to keep an eye on their work. But day to day media is forgetting its responsibility. Injustice is being happened with tribals openly. They are being evicted from their water, forest and land and only a simple news publish in media about it. Therefore it is important to know how media is aware about tribals. Tribals are native to this country and for their upliftment, India government is trying to implement different types of schemes and implement them. But some plan succeeds and some fails too. Tribal faces so many problems. Tribal's culture and their literature have different identity. And its very difficult to attached with tribals. There is a diverse provision for the development of tribals in the Indian Constitution. Yet they are not being developed due to political reasons. For benefit, tribal's lands are being plundered by others. In tribal's area, there is a loss of their secondary product and the government has given it name of development. So the local tribes are also not cooperating with them. For these reasons, there is a dissatisfaction situation with the government, in the tribals has remained. If we talk about the development of tribals, there is a need to implement the rights of tribals in the Indian Constitution in a right direction. But the government is also not giving attention to this. For the development of tribals, the Indian Government formed a committee named 'bhuriya committee'. Based on this committee PESA law was amended in 73rd constitution. PESA law was created and 0n Dec 24th 1996 the President approved new legislation for panchayts in scheduled areas. Along with this, the law has been implemented in the scheduled areas with the significant changes given in Part 9 article 244 of the Constitution. This is the first law of our country. In this law, it is considered that the position of village society is most high in India. The information of this law has not been reached among the general public. Any information about PESA law, the social institution spread these informations to people according to their

own accord. Therefore, there has been confusion over the 'PESA law' in the minds of non-tribals. Nobodies give information about this law at the government level. Until the information or awareness about this law can reach to the common people, the tribals will not develop. It is important to know how the media is carrying out their obligation. Or how the government is spread information about this PESA law? The purpose of the research is to know the role of communication medium in the implementation of PESA law. Considering the quality of the research, analyzed a total number of 20 news related to PESA law published in lokmat(Marathi)newspaper between march 2016 to January 2017. All these news related to Kinwat tahsil. A questionnaire was collected from 42 people of total five village coming under Kinwat tahsil for the research. To complete this research topic, the observation, content analysis, interview and questionnaire, research method and tool have been used. In the first chapter, 'introduction of the tribes' there is all information about Indian tribals according to area. In this chapter it has been tell, how the tribals are living their life according to their customs, culture and lifestyle. In the chapter about the Maharashtra's tribals are presented. Studies have found that there are a total of 47 tribes in Maharashtra. But in this study 8 major tribes of Maharashtra have been taken for the study on the basis of area. It includes the tribals of Andh, Bhil, Gond, Warli, Korku, Dhanka etc. how these tribes are different from each other and each tribes is known by their own identity, their language , culture, lifestyle, behavior and other thing can see in this chapter. Beside this, in the second chapter ' Tribal Community and Governmental Schemes' it has included the information related to schemes being implemented by the government for bringing tribals to mainstream, financially strengthening and personality development. In this chapter, detailed information has been provided about the various government schemes which has given to farmers for the education, health, employment availability, and farming. In the third chapter, 'Tribal Community and PESA Law' the introduction of PESA law has given with details of various issues like Tribal Community, Right to the Gram Sabha, Forest Community as well as presented forest rights and tribal community. What is the role of media in implementation of PESA law? Analyses this question through the selected news published in Lokmat Newspaper. In conclusion, we can see the development of mass media in current era, in which many sources of media are available but in the propagation of PESA law, the usefulness of these medium is very less. As the issue of other social awareness shows the sensitivity of the media, PESA does not see the

spread of law. On the level of Government, organizing workshop related to PESA law is non- existent. The role of the media in the implementation of PESA law is not satisfied.